

पत्रांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

प्रेषक,

के० के० खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 01/08/2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 के झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2019 (झारखण्ड अधिनियम, संख्या-12, 2019) द्वारा प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमति के सम्बन्ध में।


महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक से संबंधित झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2019 पर मा० राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 30.07.2019 को अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे सम्बन्धित झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2019 (झारखण्ड अधिनियम, संख्या-12, 2019) का प्रकाशन विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-एल० जी०-17/2006 (खंड-I)-277/लेज०, दिनांक-31.07.2019 द्वारा किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त विनियोग अधिनियम के तहत किये गये बजट प्रावधान का व्यय नियमानुसार राज्य की संचित निधि से किया जा सकता है।

प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगें झारनेट की वेबसाइट - <https://jkuber.gov.in/budgetjhr> या <https://10.92.194.10/budgetjhr> पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें
2019-20 की एक प्रति।


विश्वासभाजन,

(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।


ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट,

राँची, दिनांक : 01/08/2019

प्रतिलिपि : मा० राज्यपाल महोदया के प्रधान सचिव/मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें
2019-20 की एक प्रति।



(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।



ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट, राँची, दिनांक : 1/8/2019

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के उप सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें
2019-20 की एक प्रति।


(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट, राँची, दिनांक : 01/08/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें 2019-20
की पाँच प्रतियाँ, झारखण्ड विनियोग
(संख्या-03) विधेयक, 2019।


(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट, राँची, दिनांक : 01/08/2019


प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें
2019-20 की एक प्रति।


(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट, राँची, दिनांक : 01/08/2019


प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप-विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट, राँची, दिनांक : 01/08/2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, लेखा शाखा, योजना सह वित्त विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय/कोषागार शाखा/अंकेक्षण शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें
2019-20 की एक प्रति।


(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/02/2019-20/336/बजट, राँची, दिनांक : 01/08/2019

प्रतिलिपि : अवर सचिव, पी०एम०यू०, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें
2019-20 की एक प्रति।


(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।